

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)
"डी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

क्रमांक: एफ.4(31)SI&PF / GIS / Deptt Audit / 2016

दिनांक:-

संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक,

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

जिला - समस्त

विषय :- साधारण बीमा योजना की विभिन्न बीमा योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं आंतरिक अंकेक्षण करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन बाबत।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक एफ.4(31)SI&PF / GIS / Deptt Audit / 2016 / 1784-1831 दिनांक 06.08.2019

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा साधारण बीमा योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं आंतरिक अंकेक्षण करने हेतु प्रशिक्षण में उपस्थिति के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

क्र. सं.	संभाग में स्थित कार्यालयों के कार्मिकों को जिनको प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना है।	संभाग	दिनांक	समय
1	अजमेर, नागौर, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा	अजमेर	26.08.2019	10:30am से 05:30pm
	बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरु, श्रीगंगानगर	बीकानेर		
	उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण,	उदयपुर		
2	जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, सचिवालय जयपुर, नई दिल्ली	जयपुर प्रथम	27.08.2019	10:30am से 05:30pm
	अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनु	जयपुर द्वितीय		
3	अन्य जिला कार्यालय जहां से संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक तीनों में से कोई एक उपस्थित नहीं हुआ है एवं नवीन नद. नत अधिकारी जो पूर्व प्रशिक्षण दिनांक 19.08.19, 20.08.19 एवं 26.08.2019 को उपस्थित नहीं हो पाये।	सभी संभाग	27.08.2019	10:30am से 05:30pm

उक्त अंकेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

संभागीय अतिरिक्त निदेशक, अपने संभाग के जिला कार्यालयों के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को जीआईएस से संबंधित अंकेक्षण प्रशिक्षण में संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3/2

(विजय कुमार पारीक)

अतिरिक्त निदेशक (मेडिकलेम)

साबीनि जयपुर

दिनांक:- 21-08-2019

क्रमांक: एफ.4(31)SI&PF / GIS / Deptt Audit / 2016 / 2012-2024

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।

2. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर को भिजवाकर अनुरोध है कि इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

4. संयुक्त निदेशक (साभान्य प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।

5. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त विभाग

3/2

(सी.एस. मिश्रा)

संयुक्त निदेशक (Audit)

साबीनि जयपुर